


## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला - झालावाड़ ( राज. )


बीसालाल बनाम हेकारलाल

प्र मुकदमा प्रणयन नं. 112 सन् 2025

क्र. सं.	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
1/15	<p>वकील डिक्लीयर द्वारा जार्जना पत्र अन्तर्गत धारा-152 सहायित धारा-151 CPC पेश किया प्रकरण वाद जौच सरिस्टा दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेशार्थ (मूल वाद सं. 101/2010) के साथ दिनांक 24/07/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ump</p>	
6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। धारा-152 र.व.स. 151 CPC के प्रावधानों पर लीची बहल हुई गई। प्रावधानों द्वारा बहल में कमत किया कि निम्न वकील दिनांक 18/3/2025 में Typing error के कारण बहल के खसरी की डिमा में त्रुटि हो गई है जिसे अनुवाच अनुसार सुधारा किया जावे।</p> <p>बहल के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया। बहल के खसरी नम्बर 142 व 236/142 की डिमा के फॉन्ट में Typing</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या पय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म को तार में जारी हुए
----------------	---------------------------------------	---

error है जो mistake apparent from the record  
 है जैसे साक्षी का डेटा के अधीन इसी court  
 को rectify करने का प्राधिकार है। उपरोक्त  
 निवेदन के आधार पर प्रार्थना का प्रस्ताव  
 स्वीकार किया जाकर गैरिपि व कार्टनल डिप्टी  
 डेटा 18/3/2025 के खण्ड no 142 की डिप्टी  
 (अभावनामाल) परिसर से पूर्व एवं खासकर  
 अका (माल व अन्य की भूमि ख नं 276/142  
 की डिप्टी पूर्व में प्लॉट Real inक से  
 परिसर की बावें / पत्रावली के समग्र भाग  
 होकर नम्बर से कम होकर मूलवत्त के  
 साथ संलग्न हो।

  
 24/3/25



उपखण्ड अधिकारी  
 पिप्लावा, जिला झालावाड़ (राज०)